



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218717
CG-DL-E-17032020-218717

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149|
No. 149|

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय
(एएलएचडब्ल्यू अनुभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

सा.का.नि. 175(अ).—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतल परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7 मई, 1990 की सं. सा.का.नि. 468(अ) एवं दिनांक 7 मई, 1990 की सं. सा.का.नि. 469(अ) एवं दिनांक 24.08.2001 की सं. सा.का.नि. 617(अ) का अधि. मण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़ कर, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषित करती है कि इसके साथ अनुबंधित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर पत्तन की किनारे की तरफ स्थित सीमाओं का विस्तार नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में समरूपी प्रविष्टि में दी गई उनकी स्थितियों के अनुसार, उक्त अधिनियम के उद्देश्य से, नीचे दी गई तालिका में कॉलम (4) में प्रत्येक पत्तन के सामने नियत किए गए अनुसार होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित अन्य सभी पत्तनों की सीमाएं अपरिवर्तित रहेंगी।

तालिका

क्र.सं.	पत्तन	क्षेत्र/स्थिति	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पोर्ट ब्लेयर	क. अक्षांश 11°38'06" उत्तर देशांतर 92°45'08" पूर्व	पश्चिम की ओर के ज्वारीय जल सहित क,ख,ग तथा घ विंदुओं को क्रम से जोड़ने वाली रेखाओं से घिरा हुआ पूरा समुद्र पोर्ट ब्लेयर की

	ष. अक्षांश 11°38'06" उत्तर देशांतर 92°47'00" पूर्व ग. अक्षांश 11°43'00" उत्तर देशांतर 92°47'00" उत्तर घ. अक्षांश 11°43'00" उत्तर देशांतर 92°45'24" पूर्व	पत्तन सीमाओं को कवर करता है और पोर्ट ब्लेयर पर होष टाक, किनारे की तरफ उच्चतम जल-स्तरांक के 50 गज के भीतर के भूम क्षेत्र की पत्तन सीमा निम्नानुसार होगी:- क 11°41'46.93" उत्तर 92°43'36.65" पूर्व ख 11°41'43.83" उत्तर 92°43'40.46" पूर्व ग 11°41'42.67" उत्तर 92°43'39.45" पूर्व घ 11°41'47.54" उत्तर 92°43'38.24" पूर्व
--	---	--

[फा. सं. एसएस.14020/2/2020-गएलएचडब्ल्यू]

के. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(ALHW SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2020

G.S.R. 175(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Indian Ports Act, 1908, and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. G.S.R. 468(E) dated 7th May, 1990, No. G.S.R. 469 (E) dated 7th May, 1990, and GSR No. 617(E) dated 24/08/2001, except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that the extent of landward limits of the Port Blair Port in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands specified in column (2) of the Table annexed hereto with their positions indicated in the corresponding entry in column (3) in the below mentioned Table shall, for the purposes of the said Act, be as specified against each port in column (4) in the below mentioned Table. Port limits for all other Ports in A&N Islands remains unchanged:—

TABLE

Sl. No. (1)	Port (2)	Area/Position (3)	Limits (4)
1	Port Blair	A. Lat 11° 38'06" N Lon 92° 45'08" E B. Lat 11° 38'06" N Lon 92° 47'00" E C. Lat 11° 43'00" N Lon 92° 47'00" N D. Lat 11° 43'00" N Lon 92° 45'24" E	All waters including tidal waters westwards and enclosed by lines joining points A, B, C and D in sequence cover the port limits of Port Blair and land area within 50 Yards of High Water Mark as the landward port limit of Hope Town at Port Blair as below:- a 11°41'46.93" N 92°43'36.65" E b 11°41'43.83" N 92°43'40.46" E c 11°41'42.67" N 92°43'39.45" E d 11°41'47.54" N 92°43'38.24" E

[F. No. SS.14020/2/2020-ALHW]

K. K. AGGARWAL, Jt. Secy.